[2019] 1 एस. सी. आर 68

रागिणी सिन्हा

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

सिविल अपील संख्या 7224-7225/2012

07 जनवरी, 2019

[न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा]

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948-अपीलार्थी के विरुद्ध दो लोगों (आवेदकों) द्वारा 1948 के अधिनियम के तहत द्वारा याचिकाएं दायर की गई। आवेदकों की शिकायत यह थी कि उन्होंने अपीलार्थी के साथ उसकी भूमि पर लगभग 2 साल तक काम किया, लेकिन उसने उन्हें उनके वैध वेतन का भुगतान नहीं किया-सक्षम प्राधिकारी ने दावा याचिकाओं को अनुमति दी और अपीलार्थी पर जुर्माना भी लगाया गया-अपीलीय प्राधिकारी ने सक्षम प्राधिकारी के आदेश को बरकरार रखा-उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया: हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया-सवाल यह है कि क्या दोनों श्रमिकों ने कभी अपीलार्थी के साथ काम किया और, यदि ऐसा है, तो कितनी अवधि और कितना वेतन उनके नियोक्ता द्वारा उन्हें देय था- सामग्री प्रश्न थे, जो सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए थे और दो श्रमिकों के पक्ष में निर्णय लिए गए थे-इन मुद्दों पर दर्ज तथ्यों का एक समवर्ती निष्कर्ष रिट याचिकाओं और अंतर-न्यायालय अपीलों का निर्णय करते समय उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी था-रिट कोर्ट

ने उन दो श्रमिकों के लागू न होने के आधार पर रिट याचिकाओं को सही ढंग से खारिज कर दिया, जिनके पक्ष में आदेश अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित किए गए थे क्योंकि वे रिट याचिकाओं में आवश्यक पक्ष थे-अपीलकर्ता द्वारा अंतर-न्यायालय अपीलों में दायर कार्यान्वयन आवेदन को लंबे समय के बाद देरी और दिलायी (सुस्ती)के आधार पर सही ढंग से खारिज कर दिया गया था-इसके अलावा, इस बीच, दोनों श्रमिकों की मृत्यु भी हो गई और उनके कानूनी प्रतिनिधियों (हकदार) को न तो अंतर न्यायालय अपीलो में और ना ही इन अपीलो में पक्षकार बनाया गया। इसलिए रिट याचिकाओं अंतर न्यायालय अपीलो एवं उन अपीलो को खारिज करने के लिए यह आधार पर्याप्त था। अपीलकर्ता को उचित मौके दिये गये थे खुद का बचाव करने के और उसने इस अवसर का उपयोग भी किया। इसके अलावा पूर्वाग्रह का कोई मामला नही बनाया गया था। अपीलकर्ता द्वारा कार्यवाही के किसी चरण में अपीलकर्ता द्वारा किये गये उल्लघनो की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और जिन्हे साबित कर दिया गया था, प्राधिकरण को उस पर जुर्माना लगाने को उचित ठहराया गया। प्राधिकरण को इस अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने की शक्ति है, जब नियोक्ता के खिलाफ उल्लंघन साबित हो जाता है। अपीलीय प्राधिकार, रिट कोर्ट और डिविजन बेंच ने अपनी संबंधित क्षेत्राधिकार में किसी भी मामले में उचित हस्तक्षेप नही किया। अपीलकर्ता को उन दोनो श्रमिको का देय राशि की गणना करने और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

इस मामले में जो शामिल है वह विशुद्ध रूप से तथ्य का सवाल है जिसे इन अपीलों में नहीं लिया जा सकता है। दोनों अधिकारियों द्वारा इन मुद्दों पर दर्ज तथ्यों का एक समवर्ती निष्कर्ष रिट याचिकाओं और अंतर-न्यायालय अपीलों पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी था। प्रश्नगत दावा वर्ष 1991 से संबंधित है और दो श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से संबंधित है, जो अब मर चुके हैं और इस न्यायालय के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व नहीं लिया जा रहा है। हालाँकि, अपीलकर्ता योग्यता के आधार पर कोई मामला बनाने में सक्षम नही है। उच्च न्यायालय

के समक्ष अपीलार्थी की एकमात्र शिकायत यह थी कि उसे कार्यवाही में पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। और दूसरा उस पर अधिकारियों द्वारा लगाया गया जुर्माना राशि अत्यधिक था और इसलिए या तो इसे खारिज किया जाना चाहिए या कुछ हद तक कम किया जाना चाहिए। इन प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नही है। अपीलार्थी को बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था और जिसका उसने भी लाभ उठाया। इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा कार्यवाही के किसी भी चरण में यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी कि उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा किया गया था। अपीलार्थी द्वारा किए गए उल्लंघनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और जिन्हें साबित माना गया था, प्राधिकरण अपीलार्थी पर जुर्माना लगाने में उचित था। नियोक्ता के खिलाफ कथित उल्लंघन साबित होने के बाद प्राधिकरण के पास अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने की शक्ति है। अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह आक्षेपित आदेशों के संदर्भ में दो श्रमिकों (मृत होने के कारण) को देय पूरी राशि की गणना करे और इस आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर दोनों श्रमिकों के कानूनी प्रतिनिधियों को इसका भुगतान किया जाए। [कंडिका 12,17 और 19] [71-ई, एफ; 72-बी-ई, जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 7224-7225/2012

एल. पी. ए. संख्या 530/1998 और 620/1998 में पटना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के दिनांक 18.01.2008 के निर्णय और आदेश से।

विवेक सिंह, स्वास्तिक दलाई, संतोष कुमार-I,अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

गोपाल सिंह, विवेक सिंह, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, द्वारा दिया गया।

निर्णय

1) ये अपीलें पटना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार द्वारा एलपीए संख्या 530/1998 में 18 जनवरी, 2008 को दिए गए अंतिम निर्णय और आदेश तथा 18 जनवरी, 2008 को एलपीए संख्या 620/1998 में दिए गए आदेश के खिलाफ की गई हैं जहाँ अपीलकर्ता द्वारा दायर अपीलों को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और सीडब्ल्यूजेसी संख्या 12009/1996 में और दिनांक 22.04.1998 में दिनांक 31.3.1998 और सी. डब्लू जेसी संख्या 12010/1996 में दिनांक 22.04.1998 को एकल न्यायधीश द्वारा पारित आदेशों का सम्पुष्टि कर दिया।

2) इन अपीलों में अंतर्वलित विवाद एक संकीर्ण क्षेत्र में निहित है जैसा कि इसमें नीचे उल्लिखित कुछ तथ्यों से स्पष्ट होगा।

3) संतोष कुमार और हीरा सिंह नामक दो व्यक्तियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ अपनी दावा याचिकाएं दायर की हैं, जो इस मामले में एम.डब्लू संख्या (2) 19/93 और एम. डब्लू (2) 20/93 है।

4) इन दावा याचिकाओं में, प्रत्यर्थियों ने दावा किया कि उन्होंने 01.01.1991 से 30.10.1992 तक की अवधि के लिए अपीलार्थी के साथ उसकी भूमि पर काम किया था, लेकिन उसने उसके लिए अपनी सेवाएं देने के बावजूद उन्हें उनकी वैध मजदूरी का भुगतान नहीं किया। संक्षेप में, यह उनकी शिकायत थी।

5) इसलिए, दो आवेदक (श्रमिक/कर्मचारी), ने दावा किया कि अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में प्रश्नगत अवधि के लिए उनकी वैध मजदूरी का निर्धारण किया जाए और दावेदारों को तदनुसार प्रश्नगत अवधि के लिए अपीलार्थी द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए।

6) अपीलार्थी ने इस मामले का विरोध किया। तदनुसार एक जांच की गई। संबंधित प्राधिकारी से रिपोर्ट भी मांगी गई थी।दिनांक २९. १०. १९९५ के आदेश द्वारा सक्षम प्राधिकारी ने दो श्रमिकों की दावा याचिकाओं को अनुमति दी और तदनुसार अपीलकर्ता (नियोक्ता) को प्राधिकरण द्वारा दिए गए दंड राशि के साथ निर्धारित वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया।

7) अपीलकर्ता व्यक्ति महसूस किया और अपील प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम के तहत अपील दायर किया। 08.10.1996 के आदेश द्वारा अपील प्राधिकारी ने अपील को खारिज कर दिया और सक्षम प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की।

8) अपीलार्थी ने व्यथित महसूस किया और पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।दिनांक 31.03.1998 और 22.04.1998 के आदेशों द्वारा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।अपीलार्थी ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एलपीए दायर किया। आक्षेपित आदेशों द्वारा, खंडपीठ ने उन अपीलों को खारिज कर दिया, जिन्होंने अपीलकर्ता (नियोक्ता) द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से इन अपीलों को दाखिल करने को बढ़ावा दिया है.

9) संक्षिप्त प्रश्न, जो इन अपीलों में विचारार्थ उठता है, यह है कि क्या उच्च न्यायालय अधिनियम के अधीन दोनों प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को बनाए रखने में न्यायोचित था।

10) हमने श्री विवेक सिंह, अपीलार्थी के विद्वत वकील और श्री गोपाल सिंह, प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील को सुना है और अपीलार्थी के वकील द्वारा दाखिल लिखित प्रस्तुतियों का भी अवलोकन किया है।

11) पक्षकारों के विद्वत वकील को सुनने के बाद और मामले के रिकॉर्ड और विद्वत वकील की लिखित प्रस्तुतियों के अवलोकन पर, हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

12) हमारी सुविचारित राय में, एक से अधिक कारणों से आक्षेपित आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की मांग करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है। पहला, इस मामले में जो शामिल है वह तथ्य का एक शुद्ध सवाल है, जिसकी इन अपीलों में जांच नहीं की जा सकती है। दूसरा, यह सवाल कि क्या दोनों श्रमिकों ने कभी अपीलकर्ता के साथ काम किया है और, यदि हां, तो, उनके नियोक्ता द्वारा उन्हें कितनी अवधि और कितनी मजदूरी देय थी, वे तात्विक प्रश्न हैं, जो सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए थे और उन्होंने दो श्रमिकों के पक्ष में फैसला किया था। दोनों प्राधिकारियों द्वारा इन मुद्दों पर दर्ज तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष रिट याचिकाओं और अंतः न्यायालय अपीलों का विनिश्चय करते समय उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी था। तीसरा रिट न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर रिट याचिकाओं को उचित रूप से खारिज कर दिया कि रिट याचिकाओं में दो कर्मचारी जिनके पक्ष में अधिनियम के तहत आदेश पारित किए गए थे, वे रिट याचिकाओं में आवश्यक पक्षकार थे और क्योंकि वे रिट याचिकाओं में शामिल नहीं किए गए थे, इसलिए रिट याचिकाओं को केवल इसी आधार पर खारिज किया जा सकता था। चौथा, यहाँ तक कि इंन्ट्रा कोर्ट अपील में भी अपीलकर्ता ने हालाँकि अपने पक्षकार के लिए एक आवेदन दायर किया लेकिन यह लंबे समय के अंतराल के बाद किया गया, इसलिए खंडपीठ ने देरी और लापरवाही के आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया। इसके अलावा, इस बीच, दोनों श्रमिकों की भी मृत्यु हो गई और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को न तो अंतर-न्यायालय अपीलों में और न ही इन अपीलों में पक्षकार बनाया गया। अतः यह आधार रिट याचिकाओं, न्यायालय के भीतर अपीलों और इन अपीलों को खारिज करने के लिए पर्याप्त है।

13) इसके अलावा, हम पाते हैं कि प्रश्नगत दावा वर्ष १९९१ से संबंधित है और दो कामगारों को देय न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से संबंधित है, जो अब मृत हैं और इस न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।

14) तब भी हमने अपीलार्थी के मामले की योग्यता के आधार पर जांच की। तथापि, हम पाते हैं कि अपीलार्थी गुण-दोष के आधार पर कोई मामला नहीं बना पाया है।

15) उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की एकमात्र शिकायत यह थी कि उसे कार्यवाही में पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और प्राधिकारियों द्वारा उस पर लगाया गया दूसरा दंड मात्रा में अत्यधिक था और इसलिए या तो इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए या कुछ हद तक कम कर दिया जाना चाहिए।

16) हम उपरोक्त प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।हमारे विचार में, अपीलार्थी को बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया और जिसका उसने लाभ भी उठाया। यह कि इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह दर्शित करने के लिए कि यह उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह से किया गया था।हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा किए गए उल्लंघनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और जो साबित किए गए थे, अपीलार्थी पर जुर्माना लगाने का प्राधिकार उचित था।

17) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्राधिकरण के पास अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने की शक्ति है, जब एक बार नियोक्ता के खिलाफ कथित उल्लंघन साबित हो जाते हैं।न तो अपीलीय प्राधिकारी, न ही रिट कोर्ट और न ही डिवीजन बेंच ने अपने अधिकार क्षेत्र में इन मुद्दों में से किसी पर हस्तक्षेप करना उचित समझा और हमारे विचार में यह सही है।

18) पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। इस प्रकार अपीलें विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं।

19) अपीलकर्ता को आक्षेपित आदेशों के संदर्भ में दो श्रमिकों को (अब मृत) देय पूरी राशि की गणना करने और इसका भुगतान इस आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर दो श्रमिकों के कानूनी प्रतिनिधियों को करने का निर्देश दिया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20) इस आदेश की एक प्रति संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए और इस आदेश की एक प्रति दो मृत श्रमिकों के पते पर भेजी जानी चाहिए जो उनके कानूनी प्रतिनिधियों की जानकारी के लिए मामले के रिकॉर्ड में उल्लिखित हैं ताकि वे अपने पक्ष में अधिनिर्णीत राशि की वसूली के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ इस आदेश को लागू करने में सक्षम हो सकें।

[अभय मनोहर सप्रे], न्यायमूर्ति

[इंदु मल्होत्रा], न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

07 जनवरी, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।